न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) सांचौर, जिला–जालोर

पीठासीन अधिकारी :– प्रमोद कुमार (आर.ए.एस)

मुकदमा संख्या :– 448/2014

जी.सी.एम.एस. नंबर :– 2012/00131

वादी	बनाम	प्रतिवादीगण
1 नरेश पुत्र मानसिंगराम उर्फ मासिंगाराम, कौम–कलबी(पटेल) निवासी–जाजूसन, तहसील–सांचौर, जिला–जालोर		1 गोवा वल्द चतरा, कौम–रेबारी, साकिन–जाजूसन, तहसील–सांचौर जिला–जालोर, राजस्थान 2 सरकार जरिये तहसीलदार सांचौर जिला–जालोर, राजस्थान

दावा बाबत बन्टवाडा एवं स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

तारीख रजु :– 09.04.2012

उपस्थिति :–

1. वादी की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री छोगाराम चौधरी उपस्थित।
2. प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री सदराम बिश्नोई उपस्थित।
3. प्रतिवादी संख्या 2 बावजूद तामील (सूचना) अनुपस्थित रहने से एकपक्षीय कार्यवाही।

:– निर्णय :– दिनांक :– 13.08.2025

वादी द्वारा प्रस्तुत वाद के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि वांके मौजा जाजूसन में वादी के संयुक्त खातेदारी की भूमि खेत खसरा संख्या 266 रकबा 0.03 हैक्टेयर, खसरा संख्या 267 रकबा 0.01 हैक्टेयर, खसरा संख्या 268 रकबा 2.41 हैक्टेयर, खसरा नंबर 269 रकबा 2.35 हैक्टेयर जुमले रकबा 4.80 हैक्टेयर की आई हुई है। उक्त लिखित वादग्रस्त आराजी में 1/2 हिस्सा मुझ वादी का एवं 1/2 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 1 का बनता है। इसलिए प्रतिवादी संख्या–1 को मेरे साथ संयुक्त खातेदार होने से पक्षकार बनाया गया है एवं तहसीलदार सांचौर को भूमिधारी होने से पक्षकार संयोजित किया गया है। उक्त वादग्रस्त आराजी मैने जरिये बेचान दस्तावेज के खरीदी थी तथा बेचान की तिथि के बाद से मैं लगातार उक्त आराजी में काश्त करता चला आ रहा हूं। आज से एक वर्ष पूर्व उक्त वादग्रस्त आराजी का गांव के मुखियान के रूबरू मुझ वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 के बीच बंटवाड़ा किया गया, जिसमें खसरा नंबर 269 रकबा 2.35 हैक्टेयर जो संलग्न नक्शा परिशिष्ठ 'अ' में हरे रंग से दर्शाया गया है, मुझ वादी के हिस्से में दिया गया तथा खसरा नंबर 266 रकबा 0.03 हैक्टेयर, खसरा नंबर 267 रकबा 0.01 हैक्टेयर, खसरा नंबर 268 रकबा 2.41 हैक्टेयर में से 2.36 हैक्टेयर भूमि प्रतिवादी संख्या 01 के हिस्से में दी गई जिसे नक्शा परिशिष्ठ 'अ' में लाल रंग से दर्शाया गया है। इसके अलावा खसरा नंबर 268 में से 0.05 हैक्टेयर भूमि मुझ वादी के रास्ता प्रयोजनार्थ रखी गई जिसे नक्शा परिशिष्ठ 'अ' में केसरिया रंग से दर्शाया गया है। उक्त नक्शा परिशिष्ठ 'अ' इस दावे का अभिन्न हिस्सा है। उक्त

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2025.09.09 18:37:03 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट
(फास्टट्रैक) सांचौर

बंटवाड़ा होने के पश्चात मेरे हिस्से में आई भूमि में मैंने खाद डालकर इसे उपजाउ बनाया है। मैंने इस पर घण्टों तक ट्रेक्टर चलाकर समतल व उपयोगी बनाया है तथा रास्ते का उपयोग मैं एवं मेरा परिवार नियमित रूप से आवागमन बेरोक टोक ढंग से करते चले आ रहे है। उक्त वादग्रस्त आराजी में से मेरे हिस्से की भूमि में काश्त करने वाले पांतीदार के लिए मैंने कच्चे छपरे भी बना रखे है जिसमें पांती पर पिलाने वाले काश्तकार निवास करते है। मैंने उक्त आराजी नकद रूपये अदा करके खरीदी है तथा बैचान की तिथि से लगातार मेरा कब्जा चला आ रहा है। मैंने मेरे कब्जासुदा आराजी को अत्यन्त उपजाउ एवं उपयोगी बनाया है जिससे प्रतिवादी संख्या 1 की नियत में खोट आ गई है तथा वह जबरन मेरे कब्जासुदा खातेदारी खेत में प्रवेश करना चाहता है। आज से एक माह पूर्व प्रतिवादी संख्या 1 ने मुझे मेरे खातेदारी खेत में आकर इस प्रकार की ऐलानियां धमकी दी कि मैं तुझे मेरे कब्जासुदा खेत से बेदखल कर दूंगा एवं मौके पर खड़ी तेरी फसल को भी काटकर ले जाउंगा। ऐसी परिस्थितियों में माननीय न्यायालय के समक्ष यह स्थाई निषेधाज्ञा का दावा पेश किया गया है। उक्त आराजी मैंने नकद मूल्य चुकाकर खरीदी है तथा इसे अपनी मेहनत से उपजाउ व उपयोगी बनाया है ऐसी स्थिति में प्रथम दृष्ट्या मामला व सुविधा का संतुलन मुझ वादी के पक्ष में है तथा अगर मुझे मेरी खातेदारी एवं कब्जासुदा भूमि से बेदखल कर दिया गया तो मुझ वादी को अपूरणीय क्षति होगी, जिसका मूल्यांकन द्रव्य में किया जाना संभवन नहीं होगा। विनायवाद आज से एक माह पूर्व उस समय उत्पन्न हुआ जब प्रतिवादी संख्या 1 ने मुझे मेरे खातेदारी खेत में आकर इस अमर की ऐलानियां धमकी दी कि मैं तुझे तेरे कब्जासुदा खेत से बेदखल कर दूंगा एवं मौके पर खड़ी तेरी फसल को भी काटकर ले जाउंगा ऐसी सुरत में विनायवाद निरन्तर जारी है। अतः मौजा जाजूसन के खसरा संख्या 266 रकबा 0.03 हैक्टेयर, खसरा संख्या 267 रकबा 0.01 हैक्टेयर, खसरा संख्या 268 रकबा 2.41 हैक्टेयर, खसरा नंबर 269 रकबा 2.35 हैक्टेयर जुमले रकबा 4.80 हैक्टेयर में 1/2 हिस्से का बंटवाड़ा एवं स्थाई निषेधाज्ञा जारी फरमावें।

उक्त प्रकरण दिनांक 09.04.2012 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया लेकिन प्रतिवादी संख्या 1 व 2 उपस्थित आये तथा जवाब पेश करने हेतु पर्याप्त अवसर दिये जाने के बावजूद भी जवाब पेश न करने पर इनका जवाब बंद किया गया तथा पत्रावली वास्ते साक्ष्यवादी नियत की गई।

वादी की ओर से नरेश के [illegible] अपने बयानों में बताया कि मेरी कृषि भूमि मौजा जाजूसन में आई हुई है [illegible] संख्या 266, 267, 268, 269 जुमले रकबा 4.80 हैक्टेयर है [illegible] आधा हिस्सा प्रतिवादी गोवा वल्द चतरा, जाति–रेबारी, निवासी–जाजूसन का बनता है अर्थात् वादी व प्रतिवादी संख्या 1 का 1/2, 1/2 हिस्सा है मैंने नक्शा परिशिष्ठ 'अ' पेश किया जो प्रदर्श 1 है जिसमें हरे रंग से दर्शायी गई भूमि मेरे हिस्से की है तथा लाल रंग की भूमि प्रतिवादी गोवा वल्द चतरा की है एवं केसरिया रंग हमारे दोनों के सामलाति रास्ता है जिसका नक्शा

सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट
(फास्टट्रेक) सांचौर

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2025.09.09 18:47:03 IST
Reason: SelfAttested

ट्रैश पेश किया है जो प्रदर्श 2 है तथा जमाबंदी संवत् 2065–2068 पेश की है जो प्रदर्श 3 है। प्रतिवादी की ओर से जवाब एवं साक्ष्य पेश नहीं करने पर प्रतिवादी शहादत बंद की गई।

वादी वकील द्वारा निवेदन किया कि प्रतिवादी की साक्ष्य व जवाब प्रस्तुत न होने पर वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात् के आधार पर प्राथमिक डिक्री जारी की जावें। जिस पर सुना गया चुंकि वाद संयुक्त खातेदारी के बंटवाड़े का है अतः निर्णय प्रस्तुत दस्तावेजात् के आधार पर किया जाना है, अतः वादी वकील की उभयपक्ष की बहस सुनी जाकर पत्रावली वास्ते प्राथमिक डिक्री आदेश दिनांक 18.03.2025 को दिया गया।

हमने अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस सुनी गई, अधिवक्ता वादी ने निवेदन किया कि मौजा जाजूसन के खेत खसरा संख्या 266 रकबा 0.03 हैक्टेयर खसरा संख्या 267 रकबा 0.01 हैक्टेयर, खसरा संख्या 268 रकबा 2.41 हैक्टेयर, खसरा संख्या 269 रकबा 2.35 हैक्टेयर जुमले रकबा 4.80 हैक्टेयर में वादी का 1/2 हिस्सा संयुक्त खातेदारी का राजस्व रेकर्ड में दर्जसुदा आया हुआ है जिसको वादी मिट्स एण्ड बाउण्ड्स के आधार पर पृथक करवाने का विधिसम्मत अधिकारी है, इस आधार पर प्राथमिक डिक्री जारी की जावे। पत्रावली का गहन अध्ययन व अवलोकन किया गया। पत्रावली पर मौजूद जमाबंदी संवत् 2065–2068 के अनुसार वादी नरेश का 1/2 हिस्सा दर्ज है। ऐसी सुरत में वादी 1/2 हिस्से का बंटवाड़ा करवाने का विधिसम्मत अधिकारी है।

इस न्यायालय द्वारा दिनांक 18.03.2025 को प्राथमिक डिक्री जारी कर तहसीलदार सांचौर से प्राथमिक डिक्री की पालना रिपोर्ट तलब की गई जिस पर तहसीलदार सांचौर द्वारा क्रमांक/भू.अ./2025/3277 दिनांक 04.08.2025 को प्राथमिक डिक्री की पालना न्यायालय हाजा में पेश की गई जो निम्न प्रकार से है।

1

क्रं सं	खातेदार का नाम	खसरा नंबर	रकबा
1	नरेश पुत्र मानसिंगाराम उर्फ मासिंगाराम, कौम–कलबी (पटेल), सादेह खातेदार	268 में से 269	0.05 हैक्टेयर 2.35 हैक्टेयर
		कुल खसरा 02	कुल रकबा :– 2.40 हैक्टेयर

2

क्रं सं	खातेदार का नाम	खसरा नंबर	रकबा
1	गोवाराम वल्द चतराराम, कौम–रेबारी, सा.देह खातेदार	266 267 268 में से	0.03 हैक्टेयर 0.01 हैक्टेयर 2.36 हैक्टेयर
		कुल खसरा 03	कुल रकबा–2.40 हैक्टेयर

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2025.09.09 18:37:03 IST
Reason: SelfAttested

उपरोक्त पालना रिपोर्ट पर अधिवक्ता उभयपक्ष को सुना गया, जिस पर किसी भी प्रकार की उक्त प्राथमिक डिक्री पालना रिपोर्ट पर कोई आपति जाहिर नहीं की जिस पर उक्त प्राथमिक डिक्री पालना रिपोर्ट स्वीकार की जाती है तथा प्राथमिक डिक्री की

सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट
(फास्टट्रेक) सांचौर

पालना रिपोर्ट अनुसार वादी बंटवाड़ा करवाने का अधिकारी होने से वादी का वाद स्वीकार किया जाकर उपरोक्तानुसार वादी बंटवाड़ा की अंतिम डिक्री करवाने का विधिसम्मत अधिकारी होने से वादी का वाद स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है।

:– आदेश :–

इस न्यायालय द्वारा दिनांक 18.03.2025 को जारी प्राथमिक डिक्री के संदर्भ में तहसीलदार सांचौर द्वारा दिनांक 04.08.2025 की पालना में बंटवाड़ा प्रस्ताव अनुसार वादी का वाद स्वीकार किया जाता है तथा प्रस्तावित बंटवाड़ा अनुसार वादी नरेश पुत्र मानसिंगराम उर्फ मासिंगाराम, कौम–कलबी (पटेल), साकिन–जाजुसन खातेदार को बंटवाड़े में बैंगनी रंग से दर्शाया गया है तथा प्रतिवादी गोवाराम वल्द चतराराम, जाति–रेबारी, साकिन–जाजुसन को प्रस्तावित बंटवाड़े में गुलाबी रंग से दर्शाया गया है। अतः उपरोक्तानुसार बंटवाड़ा एवं स्थाई निषेधाज्ञा की डिक्री बहक वादी विरूद्व प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 2 सादिर की जाती है तथा तहसीलदार सांचौर को आदेशित किया जाता है कि प्राथमिक डिक्री की पालना रिपोर्ट दिनांक 04.08.2025 अनुसार भूमि तरमीम कर राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज दुरूस्ती कायम करें। तद्नुसार डिक्री पर्चा मूर्तिब हो।

(प्रमोद कुमार, आर.ए.एस)
सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रेक) सांचौर, जिला–जालोर

सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फास्ट ट्रेक) सांचौर

निर्णय आज दिनांक **13.08.2025** को सर–ए–इजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रेक) सांचौर, जिला–जालोर

सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फास्ट ट्रेक) सांचौर

सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट, सांचौर फास्ट ट्रेक सांचौर (जालोर) जिला जालोर

सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट, सांचौर फास्ट ट्रेक सांचौर (जालोर) जिला जालोर

Signature Not Verified

Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2025.09.09 18:37:03 IST
Reason: SelfAttested